न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज०)

राजस्व लोक अदालत–न्याय आपके द्वार 2018

पीठासीन अधिकारीः–राजलक्ष्मी गहलोत, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः– 07/2018 प्रार्थना पत्र

उनवान

1–भैरा पिता भूरा गुर्जर नि0 मासिंहपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा राज.

2–नानी बेवा भूरा गुर्जर नि0 मासिंहपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा राज.

प्रार्थीगण

बनाम

1–खेमराज पिता गोटु गुर्जर नि0 मासिंहपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा राज.

2–पोखर पिता सोला गुर्जर नि0 मासिंहपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा राज.

3–केशु पिता मोडा गुर्जर नि0 मासिंहपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा राज.

4–माना पिता रूपा गुर्जर नि0 मासिंहपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा राज.

5–किशन पिता दुदा गुर्जर नि0 मासिंहपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा राज.

6–नन्द लाल पिता रूपलाल गुर्जर नि0 मासिंहपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा राज.

7–केशु पिता हुक्मा गुर्जर नि0 मासिंहपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा राज.

8–जयराम पिता दुदा गुर्जर नि0 मासिंहपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा राज.

विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 111,128 एल0आर0एक्ट

उपस्थित

जाकिर हुसैन

अधिवक्ता प्रार्थीगण

निर्णय

दिनांक 19.05.2018

पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार/केम्प कोर्ट मोखुन्दा मे पेश हुई। प्रकरण का सक्षेप मे विवरण इस प्रकार है प्रार्थीगण के खातेदारो की कृषि आराजियात ग्राम माहसिंहपुरा पटवार हल्का मोखुन्दा के बैरून हल्का आबादी मे खाता संख्या 219 मे अंकित आराजी संख्या 604 रकबा 0.43 हे0, 910 रकबा 0.52 हे0, 911 रकबा 0.38 हे0, 912 रकबा 0.59 हे0, 915 रकबा 0.15 हे0, 916 रकबा 0.02 हे0, 917 रकबा 0.10 हे0, 918 रकबा 0.24 हे0, 919 रकबा 0.06 हे0, 941 रकबा 0.36 हे0, 942 रकबा 0.26 हे0, 946 रकबा 0.09 हे0, 996 रकबा 0.38 हे0, 1424/899 रकबा 0.68 हे0, 1425/898 रकबा 1.31 हे0 कुल किता 15 कुल रकबा 5.57 हे0 भूमिया स्थित है। प्रमाण में वर्तमान जमाबन्दी एवं नक्शा ट्रेस प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत है। प्रार्थीगण की कृषि आराजियात के चारो तरफ सीमा के मुश्तकील निशानात नही होने की वजह से प्रार्थीगण को अपनी कृषि आराजियात मे मवेशी चराने, घास काटने, फसल काश्त करने मे आये दिन विपक्षीगण से विवाद बना रहता है। तथा विपक्षीगण आये दिन प्रार्थीगण की कृषि आराजियात मे दखंलअदाजी करते रहते है। प्रार्थीगण ने अपनी भूमि का सीमा ज्ञान करवाया परन्तु विपक्षीगण नही मान रहे है जिससे प्रार्थीगण की कृषि आराजियात की पत्थरगढी करवाया जाना आवश्यक हो गया है। प्रार्थीगण द्वारा कई बार विपक्षीगण को उनकी कृषि

आराजियात की पत्थरगढी करवाने बाबत् कहा परन्तु विपक्षीगण हर बार टालम बाजी का जवाब देते रहे है व अंतिम बार प्रार्थीगण द्वारा विपक्षीगण को उनकी कृषि आराजियात की पत्थरगढरी कराने बाबत् दिनांक 29.01.2018 को कहा तो विपक्षीगण इंकार हो गये जिससे प्रार्थीगण को यह प्रार्थना पत्र पेश करने हेतु विवश होना पड़ा।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को इस न्यायालय मे दिनांक 02.02.2018 को पंजीबद्ध किया जाकर विपक्षीगण को वजह जाहिर करने हेतु नोटिस जारी किये गये। नोटिस की पालना में विपक्षीगण बावजुद सूचना के उपस्थित नही होने से एक तरफा कार्यवाही की गई। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख मे किसी प्रकार की हेरा–फेरी होने का कोई अन्देशा नही है तथा न किसी प्रकार से अधिकार निर्धारित किये जाते है। अतः इन तथ्यो को देखते हुए नैसर्गिक न्यायिक सिद्धान्त के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार योग्य है। अतः

आदेश

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि तहसीलदार रायपुर ग्राम माहसिंहपुरा पटवार हल्का मोखुन्दा के बैरून हल्का आबादी मे खाता संख्या 219 मे अंकित आराजी संख्या 604 रकबा 0.43 हे0, 910 रकबा 0.52 हे0, 911 रकबा 0.38 हे0, 912 रकबा 0.59 हे0, 915 रकबा 0.15 हे0, 916 रकबा 0.02 हे0, 917 रकबा 0.10 हे0, 918 रकबा 0.24 हे0, 919 रकबा 0.06 हे0, 941 रकबा 0.36 हे0, 942 रकबा 0.26 हे0, 946 रकबा 0.09 हे0, 996 रकबा 0.38 हे0, 1424 / 899 रकबा 0.68 हे0, 1425 / 898 रकबा 1.31 हे0 कुल किता 15 कुल रकबा 5.57 हे0 भूमिया स्थित है। उक्त आराजी की पत्थरगढी विपक्षीगणं की कब्जे कास्त की भूमि मे किसी भी प्रकार दखलंदाजी नही करते हुए बेशामलात पक्षकारान करा देवें। यदि किसी का कब्जा पाया जाता है तो कब्जा हटाने के लिये प्रार्थीगण सक्षम न्यायालय मे चाराजोही करे। प्रार्थीगण इस कार्य के लिये तहसील रायपुर मे रूपये 400/– अक्षरे चार सौ रूपये पत्थरगढी शुल्क जमा करावे एवं प्रार्थी द्वारा पत्थरगढी की कमिश्नर फीस 3000/– अक्षरे तीन हजार रूपये संबंधित गिरदावर हल्का को मौके पर भुगतान करना होगा। खर्चा राशि जमा होने पर तहसीलदार रायपुर विधिवत् पत्थरगढी करावे। प्रकरण निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो। रजिस्टर मे दाखला अंकित किया जावें।

राजलक्ष्मी गहलोत
आर.ए.एस.
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा

निर्णय आज दिनांक 19.05.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

राजलक्ष्मी गहलोत
आर.ए.एस.
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा